न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 68 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 167

प्रार्थी

1 कल्याणसिंह पुत्र पदमसिंह,
जाति–राजपूत, निवासी–डबाल

अप्रार्थीगण

दलपतसिंह पुत्र कल्याणसिंह वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 30.08.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमृतलाल मेघवाल उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 27.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डेडवा, पटवार हल्का–डबाल, तहसील–सांचौर में मुझ वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नंबर 1624 / 732, खसरा संख्या 1625 / 732 जुमले रकबा 6.1360 हैक्टेयर की स्थित है जिसके संबंध में प्रार्थी ने एक वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है जो मजबूद आधारों र आधारहीत होने से प्रार्थी के सफल होने की पूर्ण संभावना है। नकल नवीन जमाबंदी संलग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। वादग्रस्त आरजी के मौके पर हम पक्षकारों के मध्य बहामी व भौतिक रूप से जमीन की उपजाउता के आधार पर एक दूसरे के काश्त की सुविधा के हिसाब से बंटवाड़ा हो रखा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में विधिवत् बंटवाड़ा होना शेष है। मेरे बन्ट व कब्जा काश्त की भूमि में मेरी रहवासीय ढ़ाणी मौके पर मौजूद है जिसमें मैं परिवार सहित निवासरत हूं। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के 1 / 12 हिस्सा मे मेरा नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है तथा बन्ट व हिस्सा अनुसार प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार मौके पर वक्त बंटवाड़ा से मेरा निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मैं प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार हूं तथा कानूनीयां अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि को अलग करवाने का अधिकारी हूं। इस हेतु प्रार्थी ने एक वाद बाबत् बंटवाड़ा का श्रीमान के समक्ष पेश रखा है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम डबाल के खेत खसरा नंबर 1624 / 732, 1625 / 732 जुमले रकबा 6.1360 हैक्टेयर भूमि में इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें कि वे ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का अवैध कार्य नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजी के अन्दर मौके पर प्रार्थी के बंटसुदा भूमि पर जबरन अवैध तारबन्दी लगाकर या चिणों के टुकड़े वगैरह लगाकर कब्जा न करें एवं न किसी के मार्फत करावें तथा वादग्रस्त आराजी के अन्दर मोके पर प्रार्थी के बंटसुदा भूमि में कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर झगड़ा नहीं करें तथा

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

मुझ प्रार्थी को जबरन वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करें व वादग्रस्त आराजी के मौके पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा मेरे शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें तथा वादग्रस्त आराजी को बैचान, रहन, गिरवी, दान, तर्क नहीं करें अर्थात् वादग्रस्त आराजी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमनें अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा डबाल, पटवार हल्का–डबाल के खेत खसरा संख्या 1624/732, 1625/732 जुमले रकबा 6.1360 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **27.04.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)